कार्यालय – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्यावर
जिला न्यायालय परिसर, ब्यावर

क्रमाक : 1866-1890 दिनांक : 29/5/2026

प्रेषिति – 1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ब्यावर
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, ब्यावर
3. समस्त न्यायालय, ब्यावर मुख्यालय, ब्यावर।
4. अध्यक्ष, जिला बार ऐसोसिएशन संस्था, ब्यावर।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बर/जैतारण/बिजयनगर/मसूदा।
6. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, बर/जैतारण/बिजयनगर।
7. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मसूदा।

विषय : नाल्सा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाऐं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किये जाने बाबत।

संदर्भ : श्रीमान सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर के पत्रांक एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./डी.एस.–।/13661–13662 दिनांक 27.05.2026 एवं विज्ञप्ति क्रमांक एफ 2 (137) /2025 /रालसा/पै.अधि./डी.एस.–।/373 दिनांक 27.05.2026 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार नाल्सा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के तहत राजस्थान राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों/मंचों में विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय व तालुका स्तर पर इच्छुक, सक्षम एवं योग्य अधिवक्तागण से रालसा द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से दिनांक 30.05.2026 से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। उक्त विज्ञप्ति की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र प्रारूप को आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड/अन्य उपयुक्त स्थानों पर चस्पा करवाकर व्यापक रूप से प्रसारित करवावे।

नोट – पैनल अधिवक्तागण हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरा जाना है, जिसका लिंक इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी मय समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्यावर में और यदि आवेदन तालुका स्तर पर किया गया हो तो संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशानुसार व्यक्तिशः अथवा डाक माध्यम से निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत किये जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ब्यावर।

क्रमांक : 1891 दिनांक : 29/5/2026

सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय, ब्यावर उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन संबंधी सूचना जिला न्यायालय, ब्यावर की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ब्यावर।